संख्या– /VI/2017–21(4)2017

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक : 11 मई, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु लेखानुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–07/ब.पत्रा./2017–18, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के एक हिस्से हेतु लेखानुदान की धनराशि ***अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31*** के मानक मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष कमशः ₹14566 हजार + ₹334 हजार + ₹600 हजार कुल **₹15500 हजार (₹एक करोड़ पच्चन लाख मात्र)** निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104–खेलकूद

(धनराशि हजार में)

मद का नाम	प्राविधानित बजट	स्वीकृत बजट	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	
03–भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	167	–	167
04–क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय 42–अन्य व्यय	01	–	–
05–क्रीड़ागनों का विकास 29–अनुरक्षण 42–अन्य व्यय	 333 200	–	 333 200
07–विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार 20–सहायक अनुदान /अंशदान/ राज सहायता	2000	–	2000
10–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	4000	–	4000

11–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1667	–	1667
12–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1433	–	1433
14–प्रतियोगिताओं का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500	–	500
15–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500	–	500
16–स्थायी क्रीड़ा उपकरणों का क्रय 42–अन्य व्यय	667	–	667
21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	900	–	900
22–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500	–	500
24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	233	–	233
28–सिविल सर्विसेज इन्सटीट्यूट 20–सहायक अनुदान /अंशदान राज सहायता	01	–	–
29–उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृत्ति 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	133	–	133
31–38वें राष्ट्रीय खेलो का आयोजन 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	333	–	333
33–38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर	1000	–	1000

34–स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित आईस स्केटिंग रिंक के संचालनार्थ राजीव गांधी अन्तराष्ट्रीय किकेट स्टेडियम सोसाइटी, देहरादून को एकमुश्त अनुदान	01	–	–
योग	**14589**	–	**14566**

(₹ एक करोड़ पैतालीस लाख छियासठ हजार मात्र)

अनुदान संख्या–30–लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104–खेलकूद– 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

(धनराशि हजार में)

मद का नाम	प्राविधानित बजट	स्वीकृत बजट	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
0201–प्रतियोगिताओं का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	167	–	167
0202–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	167	–	167
योग	**334**	–	**334**

(₹ तीन लाख चौतीस हजार मात्र)

अनुदान संख्या–31–लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

(धनराशि हजार में)

मद का नाम	प्राविधानित बजट	स्वीकृत बजट	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
02–प्रतियोगिताओं का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	333	–	333
03–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20–सहायक अनुदान /अंशदान/ राज सहायता	267	–	267
योग	**600**	–	**600**
महायोग	**15503**		**15500**

(₹ छः लाख मात्र)

महायोग (₹ एक करोड़ पच्चपन लाख मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– पूर्व अवमुक्त धनराशि व्यय हो जाने पर अग्रेत्तर आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में नियमानुसार किया जायेगा और पूर्व में अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र/वित्तीय–भौतिक प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11** के सुसंगत लेखाशीर्षान्तर्गत अंकित संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक :– अलाटमेंट आई0डी0 संख्या– **,दिनांक** 11 **मई, 2017**

S1705110131, दि० 23/05/2017
S1705300169, दि० 23/05/2017
S1705310170, दि० 23/05/2017.

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 234 **/VI/2017–21(4)2017, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।